

27.3.25

नवप्रवेश

मोहर लिख

Id
खर

पत्रावली आज वादी के डा. पत्र पर तब ही
की गयी। उक्त पत्र में मुझे डा. वा. नोट-पुस्त
में खारिज किया जा चुका है। इसलिये डा. पत्र
212 RTA का कोई औचित्य नहीं रहे जाला की अतः
डा. पत्र 212 RTA को नोट-पुस्त में खारिज किया
जाला की पत्रावली के साथ क्रमांक लेखर डा. विष्णु
5+12 है।

उप स्वण्ड अधिकारी
रामचंद्र (अलख)